भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 233 का उत्तर

अमृत भारत योजना के तहत चिह्नित स्टेशनों की संख्या

***233. श्री प्रताप चंद्र षड्डगी:**
डॉ. विनोद कुमार बिंद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चिह्नित स्टेशनों और आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चिह्नित किए गए सभी 1318 स्टेशनों के विकास/पुनःविकास का कार्य पूरा करने की समय-सीमा क्या है और चरण-वार लक्ष्य, यदि लागू हो, क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की भविष्य में पात्र स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने और पर्यावरण अनुकूल और वहनीय समाधान अपनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के चयन के मानदंड क्या हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

अमृत भारत योजना के तहत चिह्नित स्टेशनों की संख्या के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री प्रताप चंद्र षड्डगी और डॉ. विनोद कुमार बिंद के तारांकित प्रश्न सं. 233 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल मंत्रालय ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इस योजना में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए, रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे रेलवे स्टेशन तक पहुंच मार्ग में सुधार, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुख-सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार स्टेशन भवन में सुधार, रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था करना आदि, चरणबद्ध रूप से एवं यथा व्यवहार्य रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की परिकल्पना की गई है।

अब तक, क्षेत्रीय रेलों, प्रमुख शहरों और कस्बों में स्थित रेलवे स्टेशनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, इस योजना के अंतर्गत 1324 स्टेशनों का चयन किया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित रेलवे स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आवंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि स्टेशन-वार, जिला-वार या राज्य-वार। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलों को 15510.75 करोड़ रुपए की कुल धनराशि आवंटित की गई है।

भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" के हिस्से के रूप में दिव्यांगजनों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेल के स्टेशनों पर पहुंच के लिए दिशानिर्देशों को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ सब-वे/फुट ओवर ब्रिज, ब्रेल साइनेज सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि अशक्त लोगों के लिए स्पर्श-योग्य मार्ग आदि की व्यवस्थाएं जैसी दिव्यांगजनों से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं।

भारतीय रेल में दिव्यांगजनों के लिए विकास कार्य सहित रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण और कमीशनिंग एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किए जाते हैं।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन आदि के संबंध में स्वीकृतियां अपेक्षित होती हैं। इनकी प्रगति का कार्य ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे बाधक जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं); अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन; उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण लगाए गए गति प्रतिबंधों आदि के कारण भी प्रभावित होता है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस स्तर पर कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

*****